

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)  
पीठासीन अधिकारी : राकेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 08/2023 (रा.अ.)  
पंजीयन दिनांक 06.01.2023  
G.C.M.S. NO. :- 2023/8

प्रेमदास आत्मज हीरादास वैष्णव, उम्र वयस्क, निवासी बागुण्ड, तहसील भदेसर,  
जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

-अपीलांत

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, भदेसर, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

-रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध निर्णय  
एवं आदेश दिनांक 12.12.2022 न्यायालय उप तहसीलदार भादसोड़ा, प्रकरण  
संख्या 680/2022 ना. क.

उपस्थिति:-1- श्री सत्यनारायण ईनाणी, अधिवक्ता अपीलांत  
2- श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 08.08.2024

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय  
उप तहसीलदार, भादसोड़ा द्वारा पटवार हल्का बागुण्ड, तहसील भदेसर की रिपोर्ट  
के आधार पर ग्राम बागुण्ड की आराजी नम्बर 716 रकबा 0.21 हैक्टेयर किस्म  
चरनोट भूमि पर नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण मानते हुए अपीलांत के विरुद्ध  
अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा लगान का 50 गुणा शास्ति आरोपित



प्रेमदास आत्मज हीरादास वैष्णव निवासी बागुण्ड, तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ बनाम राजस्थान राज्य द्वारा उप तहसीलदार, भादसोड़ा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

करने का आदेश पारित कर दिया जो अपने आप में अवैधानिक होकर अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। उप तहसीलदार, भादसोड़ा से पत्रावली प्राप्त होने एवं रेस्पोंडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलांत के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, भादसोड़ा ने पटवार हल्का बागुण्ड की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम बागुण्ड की आराजी नम्बर 716 रकबा 0.21 हैक्टेयर भूमि पर अपीलांत का नाजायज कब्जा मानते हुए अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा लगान 1.00 रूपये का 50 गुणा अर्थात् 50 रूपये की शास्ति आरोपित करने का आदेश पारित किया जो अपने आप में अवैधानिक होने से निरस्त योग्य है। अपीलांत द्वारा किसी प्रकार का नाजायज कब्जा नहीं किया है वास्तविकता यह है कि उक्त आराजीयात चरनोट नहीं होकर किस्म बंजड है और अपीलांत के पूर्वजों ने उसे आबाद कर रखा है जिसमें बगीचा, व खेती भी होती है जहां अपीलांत के कृषि सामान व ट्रेक्टर भी पड़ा है। अधीनस्थ न्यायालय ने नियमानुसार कोई कार्यवाही नहीं की तथा अपीलांत को जवाब पेश करने एवं सुनवाई का अवसर भी प्रदान नहीं किया और ना ही मौके का निरीक्षण किया। आनन-फानन में यह विवादित आदेश पारित कर दिया जो अवैधानिक होने से निरस्त योग्य है। अपील अन्दर मियाद पेश है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का पारित आदेश दिनांक 12.12.2022 निरस्त फरमावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि प्रश्नगत भूमि वर्तमान में राजकीय चारागाह भूमि है जिस पर अपीलार्थी द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि से बेदखली एवं शास्ति आरोपित करने का पारित आदेश विधि सम्मत् है।



प्रेमदास आत्मज हीरादास वैष्णव निवासी बागुण्ड, तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ बनाम राजस्थान राज्य द्वारा उप तहसीलदार, भादसोड़ा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रथम आदेशिका दिनांक 22.11.2022 पर अपीलांत को सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिए नोटिस/सूचना पत्र जारी किया जाकर पेशी दिनांक 05.12.2022 निर्धारित की गई है तथा द्वितीय आदेशिका दिनांक 05.12.2022 पर अंकित किया है कि “गैरसायलान अनुपस्थित। गैरसायलान को पुनः नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 12.12.2022 को पेश हो।” तथा तृतीय आदेशिका दिनांक 12.12.2022 पर अंकित किया है कि “पत्रावली आज मुकाम उप तहसील भादसोड़ा पर पेश हुई। गैरसायलान उपस्थित। निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।” इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को सुनवाई का अवसर ही प्रदान नहीं किया गया तथा प्रथम अवसर पर ही दिनांक 12.12.2022 को उक्त विवादित आदेश पारित कर दिया गया जो कि अनुचित होकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है।

यहां हम यह उल्लेख करना चाहेंगे कि कोई भी निर्णय पारित किये जाने से पूर्व पक्षकारों को नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को विधिवत् सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करना नहीं पाया जाता है जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।

निष्कर्षतः अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 12.12.2022 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलांत को साक्ष्य, सबूत पेश करने तथा विधिवत् सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर नए सिरे से विधि-सम्मत निर्णय पारित करें।

“निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।”

(राकेश कुमार)

